



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13032026-270932
CG-DL-E-13032026-270932

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1246]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 12, 2026/फाल्गुन 21, 1947

No. 1246]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 12, 2026/PHALGUNA 21, 1947

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 मार्च, 2026

का.आ.1303(अ)— भारत सरकार ने, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इस के पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन जारी भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 4224(अ), दिनांक 17.09.2025 द्वारा, उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में, मैसर्स रिलायंस ईथेन पाइपलाइन लिमिटेड द्वारा दहेज मैनुफैक्चरिंग डिविजन (गुजरात) से पर्वततक, जहां इसे डी.एन.इ.पी.एल.का मौजूदा पाइपलाइन सुविधाओं के साथ जोड़ा जाएगा, जो आर. आई.एल.—हजीरा मेन्युफैक्चरिंग डिविजन से जुड़ेगी, तरल ईथेन के परिवहन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और, उक्त राजपत्र अधिसूचना प्रतियाँ दिनांक 25.09.2025 से 08.10.2025 तक जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और, पाइपलाइन बिछाने के सम्बन्ध में, जनता की ओर से प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और अननुज्ञात कर दिया गया;

और, सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

और, भारत सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उस में सभी विल्लंगमों से मुक्त, उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

अतः अब, भारत सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है;

और, भारत सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से भारत सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त, मैसर्स रिलायंस ईथेन पाइपलाइन लिमिटेड में निहित होगा।

अनुसूची

तालुका : वागरा	जिला : भरुच	राज्य : गुजरात		
गाँव का नाम	सर्वे सं०/सब डिविजन सं०	आर.ओ.यू. अर्जित करने के लिए क्षेत्रफल		
		हेक्टेयर	एयर	वर्ग.मी.
1	2	3	4	5
1) सुवा	33	00	01	60
तालुका : हांसोट	जिला : भरुच	राज्य : गुजरात		
1) शेरा	442	00	25	59

[फा. सं. एल.-14014-3-2025-जी.पी.-II (ई-52145)]

रामजीलाल मीना, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th March, 2026

S.O. 1303(E).—Whereas by notification of Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas, number S.O. 4224(E) dated 17-09-2025, issued under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) (hereinafter referred to as the said Act), the Government of India had declared its intention to acquire the Right of User in land, specified in the Schedule appended to that notification for transportation of Liquid Ethane from Dahej Manufacturing Division in Gujarat to Parvat, where it will be hooked-up with the existing pipeline facilities of DNEPL, interconnecting with RIL-Hazira Manufacturing Division should be laid by M/s Reliance Ethane Pipeline Limited;

And whereas, the copies of the said Gazette notification were made available to the public from 25-09-2025 to 08-10-2025;

And whereas, the objections received from the public to the laying of the said pipeline have been considered and disallowed by the Competent Authority;

And whereas, the Competent Authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government of India;

And whereas, the Government of India, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the said pipeline, has decided to acquire the Right of User therein, free from all encumbrances;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Government of India hereby declares that the Right of User in the land, specified in the Schedule, appended to this

notification, is hereby acquired for laying the said pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 6 of the said Act, the Government of India hereby directs that the Right of User in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Government of India, vest on the date of publication of the declaration, in M/s Reliance Ethane Pipeline Limited, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Taluka: VAGRA	District: BHARUCH	State: GUJARAT		
Name of Village	Survey No./Sub-Division No.	Area to be acquired for ROU		
		Hec	Are	Sq.m.
1	2	3	4	5
1) Suva	33	00	01	60
Taluka: HANSOT	District: BHARUCH	State: GUJARAT		
1) Shera	442	00	25	59

[F. No. L-14014/3/2025-GP-II (E-52145)]
RAMJI LAL MEENA, Under Secy.